FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

रामाराम बनाम नारणाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111,128 RLR Act नं. 283/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2021	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपतसिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/अपील धारा 111,128 राजस्थान ~~काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26.11.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
26/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। सीमान्त पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/12/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:32 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान्

सेवा में

24/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि सेनामेड आई हुई है। खेतों के बीच जो पुरानी मेढ़ व कुणो आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेख्य-बन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेख्य-बन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेख्यमबन्दी आदेश किया जावें।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेख्यमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसील-दार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरी नेख्यमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली कोसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1532 दिनांकः– 24/12/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रामाराम पुत्र पुनमाराम जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का वास पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. नारणाराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 29 जाति मेघवाल , निवासी मेघवालों का वास पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 283 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – मेगवालों का वास , पटवार मण्डल – छीतर का पार, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 450 रकबा 3.9965 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
दिनांकः– 24/12/21

क्रमांक / वाद / 2021 / 1533–37
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार बायतु
3. पटवारी हल्का छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री रामाराम पुत्र पुनमाराम
5. विप्रार्थी श्री नारणाराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 29
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

[redacted]